Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

(अदा)लत..... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम....... रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

घासीबाई बनाम सरकार वगैरह

(मु)कदमा 88, 89, R.T. Act 1955 नं. 39 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/3/20	प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र वादिया द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी को पेश किया कि उसके द्वारा ग्राम ईश्वरपुरा की भूमि साबिक खसरा नम्बर 62 व 63 किता 2 रकबा [illegible] को घनश्याम पुत्र देवीलाल व हीरालाल पुत्र देवीलाल का हिस्सा क्रय किया जा चुका था, परन्तु भूमि को वर्तमान में बेचानकर्ता के वारिसान के नाम दर्ज की हुई है। उक्त क्रयशुदा भूमि को प्रार्थिया के नाम दर्ज की जावे। प्रकरण नायब तहसीलदार के पत्रांक 1452-54 दि० 20.8.19 से इस न्यायालय को भिजवाया गया। प्रकरण में नायब तहसीलदार चेचट द्वारा अधिकारिता से बाहर होने के कारण प्रकरण को इस न्यायालय में भिजवाया गया है। प्रकरण में वादियां उपस्थित है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की ओर से श्री K.R. अहीर एड. उपस्थित हो। प्रति० / विक्रेता० के वारिसान का इकबालिया जवाब पूर्व से ही शामिल पत्रावली है। वादियां द्वारा शपथ-पत्र साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। शामिल पत्रावली हो। वकील प्रतिपक्षी जिरह नहीं करना चाहते	नि० अंगूठा घासी बाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म
	वकील प्रति० का कथन है, कि उनके द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। वादियां को वांछित अनुतोष दिये जाने पर विक्रेतागण के वारिसान को आपत्ति नहीं है। वादियां को शपथ-पत्र एवं प्रकरण पर सुना गया। वादियां द्वारा वादपत्र स्वीकार कर प्रश्नगत भूमि उनके नाम दर्ज करने के कथन किये। हमने ध्यानपूर्वक प्रकरण का अवलोकन किया। प्रार्थिया द्वारा तहसीलदार रामगंज-मण्डी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दि० 16.7.19, प्रार्थना पत्र पर अंकित रिपोर्ट पटवारी दि० 2.8.19, नायब तहसीलदार चेचट के पत्रांक 1452-54 दि० 20.8.19 में अंकित तथ्य, एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। वादियां द्वारा असल रजिस्ट्री प्रस्तुत की जिसे छाया-प्रति से मिलान कर वादियां को वापिस सुपुर्द किया गया। प्रकरण में प्रदर्श-1 से प्रदर्श-5 दस्तावेज पेश किये। प्रदर्श-1 मिलान खसरा, प्रदर्श 2 व प्रदर्श-3 रजिस्टर्ड बयनामा की प्रति की, प्रदर्श-4 नकल जमाबंदी, एवं प्रदर्श-5 मूल्य प्रमाण पत्र की प्रति की। वादिया द्वारा ग्राम ईश्वरपुरा की भूमि खसरा नं० ६३/७/२ व ६३/९१ में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रमांक 293 दि० 9.6.04 हिस्सा घनश्याम तथा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र (हस्ताक्षर) 17/3/20	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
क्रमांक 259 दि० 31.5.05 हिस्सा हीरालाल पुत्र देवीनाथ का क्रय किया गया थी विक्रेता एवं क्रेता क्रमशः अहीर एवं कुम्हार जाति के है, इस प्रकार विक्रयपत्र धारा 42. R.T. Act से अवबाधित नहीं है। साबिक खसरा नं० 62 व 63 के लाग खसरा नं० हस्व जदर्स-1 नवीन खसरा नंबर 109 रकबा 0.96 व 110 रकबा 1.15 हेक्टर पैरद किये गये थे चूंकि बन्दोबस्त से पूर्व ही घनश्याम पुत्र देवीनाथ एवं हीरालाल पुत्र देवीनाथ अहीर के द्वारा अपना स्वत्व वादियां को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिया जा चुका था, ऐसी सूरत में धारा 63 R.T. Act के उक्त विक्रेताओं के खातेदारी अधिकार का अवसान होकर वादियां को खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत हो जाते है। बाद बन्दोबस्त उक्त वादग्रस्त हाल आराजी नं. 109 व 110 पर घनश्याम एवं हीरालाल जो अपनी भूमि बेचान कर चुके है, तथा जिनके खातेदारी स्वत्व का अवसान हो चुका है, उनके वारिसान के नाम दर्ज की जा चुकी है। घनश्याम व हीरालाल के वारिसान का नाम उक्त वादग्रस्त भूमि पर मात्र दिखावटी है, उक्त का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का स्वत्व अवशेष नहीं है। वादियां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, रिपोर्ट नायब तहसीलदार चैचट, एवं शपथ पत्र वादियां के आधार पर वाद [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका... हुक्म ... में ज...

वादियाँ स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादियाँ स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम ईश्वरपुरा की भूमि हाल ख0 नं0 109 व 110 किता 2 रकबा 1.31 हैक्टर पर से घनश्याम व हीरालाल अहीर के वारिसान के स्थान पर वादियाँ को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त वारिसान के स्थान पर वादियाँ का नाम दर्ज हो। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।

पक्षकार घनश्याम व हीरालाल के वारिसान असहमति (भविष्य में) की अवस्था में वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

17/3/20

(चिमनलाल मीणा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Judl/Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

ब इजलास चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

चाण्दबाई बनाम सरकार

दावा बाबत 88-89. R.T.Act. 1955

मुकद्दमा नं. 39 सन् 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी श्री कन्हीराम अहीर एड. मिनजानिब मुद्दई व —

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादिया स्वीकार किये जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम ईश्वरपुरा की भूमि हाल ख० नं० 109 व 110 किता 2 रकबा 1.031 हे० पर से घनश्याम व हीरालाल अहीर के वारिसान के स्थान पर वादियां को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त वारिसान के स्थान पर वादियां का नाम दर्ज हो। परन्तु घनश्याम

चीज मबलिग बाबत व हीरालाल के वारिसान अवयस्क (भविष्य में) की अवस्था में वाद पेश करने

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह हेतु स्वतंत्र होंगे। फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 03 2020 को जारी की गई।

महर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान	—	—
मीजान	—	—			

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी